संख्या- 09/2019/142/24-1-19-54पी/02 टी0सी0-1

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 17 जनवरी, 2019**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-65/मु0म0प्र0(वित्त)/निधि-।।/ आय-व्ययक/341/2018-19, दिनांक 14 जनवरी, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-117/2018/2971/24-1-18-54 पी/02 टी0सी0-।, दिनांक 28 नवम्बर, 2018 द्वारा राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 5700,00,00,000/- (रूपये पॉच हजार सात सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 1938,00,00,000/- (रूपये एक हजार नौ सौ अड़तीस करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 390,00,00,000/- (रूपये तीन सौ नब्बे करोड़ मात्र) को माह नवम्बर, 2018 में आहरित किये जाने तथा उक्त के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 1548,00,00,000/- (रूपये एक हजार पॉच सौ अड़तालिस करोड़ मात्र) को माह दिसम्बर, 2018 से माह मार्च, 2019 तक धनराशि रूपये 387,00,00,000/- (रूपये तीन सौ सत्तासी करोड़ मात्र) की चार समान किश्तों में आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 28 नवम्बर, 2018 को एतद्वारा संशोधित करते हुए यह आदेश दिये जाते है कि कुल मूल बजट एवं अनुपूरक मांग में प्राविधानित धनराशि रूपये 4200,00,00,000/- (रूपये चार हजार दो सौ करोड़ मात्र) एवं धनराशि रूपये 1500,00,00,000/- (रूपये एक हजार पॉच सौ करोड़ मात्र) अर्थात कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 5700,00,00,000/- (रूपये पॉच हजार सात सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 774,00,00,000/- (रूपये सात सौ चौंहत्तर करोड़ मात्र) को आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

3- इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 117/2018/2971/24-1-18-54 पी/02 टी0सी0-।, दिनांक 28 नवम्बर, 2018 की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक 2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-04- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान -27- सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-13/दस-2019, दिनांक 17 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

महावीर प्रसाद गौतम
उप सचिव।

संख्या-09/2019/142(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 11001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

महावीर प्रसाद गौतम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in